

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

10

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम व  
 इजलास विनोद कुमार पुरोहित R.A.S.

लक्ष्मी (श) श्योदान  
 मन्वकूप (पि) जयसिंह  
 शम्भू पिं मन्वकूप  
 देवी बेबा गिरजि  
 ललाशो पिं गिरजि  
 रूप (जाति मीना  
 फतेहपुर तहसील टोडाभीम

उजवान श्यामरायण

- ① ~~श्यामरायण~~ डांगलोहेड
- ② रामचरण ③ शिवचरण ④ सुरेश  
 पिं सुकलाम जाति मीना निं फतेहपुर
- ⑤ तहसील टोडाभीम
- ⑥ सरकार जरिये जिला कलक्टर कोरौली
- ⑦ एस. बी. बी. जे मटवा जरिये मैनेज
- ⑧ सहकारी भूमि विकास बैंक लिं टोडाभीम

**बनाम**

बत इस्तकाराहक इन्दाज हुकमी हुकम मुकदमा नं० 64 / सन् 2009  
 ह मुकदमा आज वास्तु इनाफिसाल कर्तई खबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट व हाजिरी  
 मिनकानिब गुदई खबर ह मोर

मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा डिक्री किया जायक रक. नं. 187, 188, 189, 255, 253/551, 254/550,  
 269, 270, 290, 291, 132, 136/547, 190/546 कुल कितना 13 कुल रकबा  
 336 हेक्टर गाम फतेहपुर तहसील टोडाभीम में बादीगण व हिस्सा 1/2 के  
 खतेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तथा 1/2 हिस्से के प्रतिवादी  
 व. 1 लगायत 4 को खतेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रिन-यू रिफर्ड  
 में पूर्व के अंकित खतेदारी का अंकन इजफ किया जाता है। आराजी में  
 इन का नोट प्रबन्धिसार ही रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा  
 दे पाबन्द किया जाता है कि वे बादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त  
 नजाम इत सदाखलत नही करे।



मुकदमा नं० \_\_\_\_\_ बाबत \_\_\_\_\_ खर्चा इस मुकदमे के मय  
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक  
 \_\_\_\_\_ का अदा करे।  
 मुहुर अदालत के आज तारीख \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_  
 जारी की गई। 13.2.2012 उपपरवण्ड अधिकारी  
 मुहुर \_\_\_\_\_ करौली (राज०)  
 सीहदा \_\_\_\_\_

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
त नामा			स्टाम्प अर्जी		
सबूत			महन्ताना वकील		
निल			खर्चा गवाहान		
न			फीस कमिशनर		
नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
य हुकमनामा			मुतफरिक		
ज्ञान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।